न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–25/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/77)

1. कालूराम,
2. गोकुल,
3. भरतलाल,
4. रामकरण पि0 काना, समस्त जाति मीना निवासी सूरतपुरा हालवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी सियाराम,
2. हेमा पत्नी मुकेश,
3. मंजू देवी पत्नी दीनदयाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बड़ी कोठी डूँगरपुर तहसील राहूवास जिला दौसा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मनीष पारीक एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 03.06.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश विधि न्याय प्रक्रिया एवं कानून के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित जाकर किया गया आदेश है, जो एकदम मनमाना एवं प्रक्रियाओं का दुरूपयोग कर पारित किया गया आदेश है, जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि सर्वप्रथम तो धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह आवश्यक है कि इसमें प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाना आवश्यक था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने आवेदन मे आस पडौसी से सीमा संबंधी विवाद होने का कथन प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में स्पष्ट रूप से किया गया है परन्तु अपीलान्ट को बिना जानकारी एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करवा लिया गया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 495 की भूमि से बिलकुल लगती हुई भूमि अपीलान्ट की खातेदारी खसरा नम्बर 729/494 स्थित है फिर भी अपीलार्थीगण को जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार दर्ज नही किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकारान को हैरान व परेशान करने की गरज से बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो प्रथमतः ही विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि उक्त भूमि के इर्द गिर्द आस–पास अप्रार्थीगण/अपीलान्टस कई मर्तबा अपनी भूमि बताकर फसल नष्ट कर देते है एवं तारबंदी व मेडबंदी इत्यादि भी नही करने देते है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के पूर्व में सीमाज्ञान भी नही करवाया है तथा हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा खसरा नम्बर 495 दिनांक 05.12.2020 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1997 विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है जिसका आज दिनांक सीमाज्ञान संबंधी प्रार्थना प्राप्त नही हुआ है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही हुई है जिससे धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना हो सकी हो फिर भी विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मनमर्जी पूर्वक सारे नियम कानून, कायदे कानूननों को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र सावित्री देवी वगैर बनाम सरकार मु0नं0 14/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 अपास्त किया जाकर उक्त निर्णय में हुई कारगुजारियों की अलवर से जॉच करवाकर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही अलग से करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की तन्हा अधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम खटवा तहसील लालसोट पटवार हल्का खटवा जिला दौसा में स्थित है जिसके वे जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार है तथा प्रत्येक का मुताबिक जमाबन्दी 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा अंकित है। उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार बलवन्तसिंह पुत्र बाघसिंह कौम सिख से क्रय कर कब्जा अभिप्राप्त किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजीयात के राजस्व नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के आधार पर पुख्ता तरमीम हो रही है। रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी की भूमि के इर्द गिर्द आस पास कूछ सरकारी भूमि चारागाह का रकबा पड़ता है, उक्त रेस्पोडेन्ट को उराई जुताई के समय उन्हे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कई मर्तबा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 स्वयं के रकबे की भूमि बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की फसल नष्ट करवा देते है तथा रेस्पोडेन्ट को अपने रकबे की तारबंदी इत्यादि मेडबंदी भी नही करने देते है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट के लिए यह आवश्यक भी हो गया कि वे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी के आधार पर अपने रकबे का सीमाज्ञान करवाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी मौके पर कायम करावें जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार लालसोट से रिपोर्ट लेने के पश्चात् ही प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को अपनी आराजी व फसल इत्यादि की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए है और रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने उन्ही विधिक अधिकारों के तहत अपनी आराजी की पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रकरण पत्थरगढी सम्बन्धी है जिसमें पडौसी खातेदार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना नही रह सकते। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 729/494 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जबकि रेस्पोडेन्ट की आराजी के खसरा नम्बर 495 है जिससे अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट एक दूसरे के पडौसी खातेदार काश्तकार है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के प्रकरण में अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही एवं प्रकरण में बिना कोई समरी जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है। प्रकरण में यदि प्रश्नगत भूमि के लगवा कोई राजकीय भूमि यथा चारागाह इत्यादि जैसा दौराने बहस प्रकटन किया गया है, हो तो सर्वप्रथम राजकीय भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर राजकीय भूमि को सुरक्षित किया जावे तदुपरान्त खातेदारी भूमियों का नियमानुसार सीमाज्ञान हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं प्रकरण में समरी जॉच कर राजकीय भूमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण में दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम 1500/–अक्षरे एक हजार पॉच सौ रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया है किन्तु अपीलार्थीगण की ओर से कोस्ट की राशि अभी तक राजकोष में जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश नही की गई। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाने के उपरान्त ही प्रभाव में माना जावेंगा।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर